



**Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan  
(Sonipat), Haryana-131305**

विषय: आगंतुकों, दुकानदारों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के वाहनों की जांच के संबंध में निर्देश ।

मुख्य प्रवेश द्वार संख्या 06 पर तैनात सभी सुरक्षा पर्यवेक्षक एक सुरक्षा कर्मी निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे:

1. छात्रों को लाने एवं ले जाने हेतु आने वाले अभिभावकों और माता-पिता के निजी वाहनों की प्रवेश एवं निकास के समय डिकी/बूट dickey/boot की खोलकर पूर्ण जांच की जाएगी।
2. मिनी मार्केट के विक्रेताओं तथा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वाहनों की भी अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी।
3. काली फिल्म लगे हुए वाहनों का प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
4. विश्वविद्यालय परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों /निवासियों तथा उनके आगंतुकों/मेहमानों के वाहनों की किसी भी समय जांच की जा सकती है।
5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर में शराब के नशे में वाहन न चलाए।
6. बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनो की निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
8. विश्वविद्यालय परिसर में हथियार, एवं नशीले पदार्थों का प्रवेश वर्जित है।

**आदेशानुसार:** कुलसचिव, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत।